भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई/Project Implementation Unit
कमला भवन, हनुमन्त पुरम, निकट त्रिपुला चौराहा, रायबरेली–229001 (उ0प्र0)
Kamla Bhawan, Hanumant Puram, Near Tripula Chauraha, Raebareli - 229001 (U.P.)
दूरभाष/Phone : 0535-2975212
ईमेल/E-mail: pdpiuraebareilly@nhai.org, pdpiuraebareilly@gmail.com वेब : www.nhai.gov.in

भाराराप्रा/पकाई–राय/2022/अयो0बाईपास/25393 दिनांकः 20.09.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
बस्ती, उत्तर प्रदेश।

विषय - अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास के 4/6 लेन के निर्माण में बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ – मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांकः- 1017/11-सी - FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 16, 2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा विषयक वन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/151936/2022 में इंगित की गई आपत्तियों / कमियों का निस्तारण कर आख्या निम्नवत है :

क्र. सं.	आपत्ति / कमियां	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना पर हस्ताक्षर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
2	प्रस्ताव में वृक्ष की सूची संलग्न है, किन्तु सूची में बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं किया गया है। अतः व्यासवार एवं वैज्ञानिक नाम सहित बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।	व्यासवार एवं वैज्ञानिक नाम सहित बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है। इस पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है।
3	प्रस्ताव में बाधक वृक्षों के 10 गुना वृक्षों का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है किन्तु संलग्न प्राक्कलन में CA स्थल का नाम व उससे सम्बन्धित अन्य विवरण अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न बाधक वृक्षों के 10 गुना वृक्षों का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में CA स्थल के नाम को उल्लेखित किया गया है। CA स्थल का नाम – लखनऊ-गोरखपुर मार्ग किमी 143.4 से किमी 148 तक (दोनों तरफ की रोड साइड पट्टी) CA स्थल का GPS पॉइंट–26°50'17.4845"N, 82°14'37.2407"E से 26°49'23.7792"N, 82°17'4.3171"E तक
4	प्रस्ताव में CA स्थल का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं किया गया है तथा ऑनलाइन भाग - 2 में CA स्थल का त्रुटिपूर्ण Geo Referenced Digital Map अपलोड किया गया है । CA स्थल का सही Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	प्रस्ताव में CA स्थल (लखनऊ-गोरखपुर मार्ग किमी 143.4 से किमी 148 तक) का Geo Referenced Digital Map पूर्व से संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग - 2 में भी अपलोड किया गया है ।
5	प्रस्ताव में CA स्थल का Sol Toposheet संलग्न नहीं किया गया है तथा ऑनलाइन भाग -2 में CA स्थल का त्रुटिपूर्ण Sol Toposheet अपलोड किया गया है। अतः CA स्थल का सही Sol Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	प्रस्ताव में CA स्थल (लखनऊ-गोरखपुर मार्ग किमी 143.4 से किमी 148 तक) का Sol Toposheet पूर्व से संलग्न है तथा ऑनलाइन भाग -2 में भी अपलोड किया गया है।

Scanned by TapScanner

6	प्रस्ताव में रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। अतः रेलवे विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	बस्ती वन प्रभाग में कोई भी ROB प्रस्तावित नहीं है। अतः रेलवे विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7	प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाना है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। इस पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है।
9	अयोध्या एवं गोण्डा वन प्रभाग के प्रस्तावों में भी वैकल्पिक रूट्स की Sol Toposheet एवं Justification उसका सलग्न किया जाना है। अतः संलग्न करें।	अयोध्या एवं गोण्डा वन प्रभाग के प्रस्तावों में वैकल्पिक रूट्स की Sol Toposheet एवं Justification पूर्व से संलग्न है।
10	प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन ड्राइव में प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग-अलग पीडीएफ फाइल अपलोड की गयी है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल जिसमे क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की सही केएमएल फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ सलग्न करें।	संसोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल (क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की केएमएल सहित) पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रस्ताव पर प्राथमिकता पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(परियोजना निदेशक)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई - रायबरेली,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, एवं गोण्डा।

Scanned by TapScanner

कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत 4/6 लेन अयोध्या बाईपास का निर्माण किया जाना है जिसकी लंबाई 67.572 कि०मी० है (उत्तरी अयोध्या बाईपास 112+540 कि०मी० से शुरु होकर एनएच-28 के कि०मी० 139+928 पर समाप्त होता है और दक्षिणी अयोध्या बाईपास 112+540 कि०मी० से शुरु होकर एनएच-28 के कि०मी० 153+281 पर समाप्त होता है।) इस परियोजना के अंतर्गत जनपद बस्ती में 0.513 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग का कार्य प्रस्तावित है तथा 185 वृक्षों का पातन किया जाना है । प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा ।

प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
बस्ती

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
रायबरेली

Scanned by TapScanner